

डिकी नमूना नं. 5
(आदेश 20 नियम 6.7 जाया कीयानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-फौलोअप कैम्प जायल
मु0न0 28/2018

वादीगण-

1. किशनाराम पुत्र मोडुराम जाति जाट निवासी रामपुरा अ तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. मुलाराम पुत्र धन्नाराम
2. गणेशाराम पुत्र धन्नाराम
3. सीता पुत्री धन्नाराम
4. बजरंग लाल दत्तक पुत्र रूपाराम
5. फुली देवी पत्नी भोलाराम
6. रामप्रसाद पुत्र भोलाराम
7. गोरधन पुत्र भोलाराम
8. रामी पुत्री भोलाराम
9. इन्द्रा देवी पत्नी जेठाराम
10. रामेश्वरलाल पुत्र जेठाराम
11. कैलाश पुत्र जेठाराम
12. जसोदा पुत्री जेठाराम
13. मांगीदेवी पत्नी तुलछीराम
14. सहदेव पुत्र तुलछीराम
15. बाबुलाल पुत्र तुलछीराम
16. संतोष पुत्री तुलछीराम
17. सरोज पुत्री तुलछीराम जातियान जाट निवासीगण रामपुरा अ तहसील जायल जिला नागौर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :-29.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 किशनाराम के हक बंट में मोजा रामपुरा अ के खेत ख.न. 190/918 रकबा 13.10 बीघा, ख नं 870 रकबा 07.04 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 के सामलाती हक बंट में मोजा रामपुरा अ के खेत ख.न. 914 रकबा 1.05 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।
लीज ग मुबलिक ग बाबत ग खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ग फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक ग को अदा करें। वसील मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.06.2018 को जारी किया गया

श्री लक्ष्मी
बन्ध सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प यकालतनामा		
स्टाम्प यकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गयाहन		
खर्चा गयाहन			फीस कमी नर		
फीस कमी नर			गायत इजराय हुवमीजान		
बबत इजराय हुवमीजान			मुताफरिफ		
मुताफरिफ					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीफर को खर्च दिये के जरिये विनाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

बन्ध सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-फोलोअप कैम्प जायल

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/

दिनांक- 29.06.2018

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर